भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *228

04.08.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

न्यूनतम अभिनिर्देशित मजदूरी

*228. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.:

श्री के. मुरलीधरनः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाड़ी में भारतीय कामगारों के लिए लागू न्यूनतम अभिनिर्देशित मजदूरी को कम कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाड़ी में भारतीय कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने सरकार से की गई इस कटौती को वापस लेने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इरादा उनके अनुरोध को स्वीकार करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक कामगार की आय में होने वाली कमी के प्रभाव का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विदेश मंत्री

(डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"न्यूनतम अभिनिर्देशित मजदूरी" के संबंध में 04.08.2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *228 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ) छह खाड़ी देशों में रोजगार के लिए न्यूनतम रेफरल मजदूरी (एमआरडब्ल्यू) अब भी वही है जो 2019-20 में थी। रोजगार की सुरक्षा के लिए कोविड की स्थिति के कारण खाड़ी देशों में 10 महीने की संक्षिप्त अवधि के लिए एमआरडब्ल्यू की दरें कम कर दी गई थीं। श्रम बाजार में स्थिरता आने के साथ ही खाड़ी देशों में हमारे दूतावासों के साथ परामर्श से स्थिति की समीक्षा की गई। यह निर्णय लिया गया कि 15 जुलाई, 2021 से पहले वाली न्यूनतम रेफरल मजदूरी को फिर से लागू कर दिया जाए।

***